(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 38/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक: 22 नवम्बर, 2017

विषय: दाल की निर्यात नीति–सभी किस्मों की दालों के निर्यात पर अगले आदेश तक प्रतिबंध हटाने के संबंध में।

सा० आ०(अ०): विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–2020 के पैरा 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की संख्या 22) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा निर्यात एवं आयात के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. दिनांक 31.03.2014 की अधिसूचना संख्या 78 (आरई–2013)/2009–2014, दिनांक 15.09.2017 की अधिसूचना सं० 28/2015–20 और दिनांक 19.04.2017 की अधिसूचना सं० 03/2015–20 का अधिक्रमण करते हुए निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण 2012 की अनुसूची 2 के अध्याय 7 की क्रम संख्या 54 पर प्रविष्टि में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :–

क्र. सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	संशोधित नीति	नीतिगत शर्त
54	**0713** 0713 10 00 0713 20 00 0713 31 00 0713 32 00 0713 33 00 0713 34 00 0713 35 00 **0713 39** 0713 39 10 0713 39 90 0713 40 00 0713 50 00 0713 60 00 **0713 90** 0713 90 10 0713 90 90	किग्रा	जैविक दलहन सहित सभी किस्मों की दालें	**मुक्त**	निर्यात सीमाशुल्क विभाग के ईडीआई पत्तनों के जरिए होगा। तथापि, निर्यात भारत–बांग्लादेश और भारत–नेपाल सीमा पर गैर ईडीआई भू–सीमाशुल्क स्टेशनों (एलसीएस) के जरिए भी अनुमत है बशर्ते कि मात्रा का पंजीकरण डीजीएफटी में हुआ हो। क्षेत्रीय प्राधिकारी, कोलकाता और पटना तथा ऐसे अन्य क्षेत्रीय प्राधिकारी जो समय–समय पर डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं, ऐसी मात्रा के पंजीकरण के प्रयोजनार्थ नामित क्षेत्रीय प्राधिकारी होंगे।

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः** जैविक दलहन सहित सभी किस्मों की दालों को बिना किसी मात्रात्मक अधिकतम सीमा के निर्यात के लिए **अगले आदेश तक 'मुक्त'** कर दिया गया है। तथापि गैर–ईडीआई भू–सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) के जरिए निर्यात के लिए निर्यातक को डीजीएफटी के साथ मात्रा के पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेल:– dgft@nic.in

(फा० सं. 01/91/180/1776/एएम–10/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)